संख्या-130/2015/आर-3940/26-3-2015-रिट(47)/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 नवम्बर, 2015

विषयः- रिट याचिका संख्या-4785/2014 जनहित ग्रुप आफ इन्स्टीट्यशन सहारनपुर तथा रिट याचिका संख्या-4786/2014 जनहित इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी सहारनपुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-14.08.2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2744/स.क./शिक्षा/2015-16/लखनऊ, दिनांक-20.10.2015 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-14.08.2014 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्थाओं की वर्ष 2013-14 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर शुल्कप्रतिपूर्ति की कुल धनराशि रूपया-1,00,21,900/-(रूपया एक करोड़ इक्कीस हजार नौ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः-

क्रस	शिक्षण संस्था का नाम/जनपद	छात्र संख्या	धनराशि (रूपया लाख में)
1	जनहित ग्रुप आफ इन्स्टीट्यशन सहारनपुर	75	रूपया-21,00,000 (रूपया इक्कीस लाख मात्र)
2	जनहित इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी सहारनपुर	94	रूपया-79,21,900 (रूपया उन्नासी लाख इक्कीस हजार नौ सौ मात्र)
	कुल योग		**रूपया-1,00,21,900/-**

(कुल रूपया एक करोड़ इक्कीस हजार नौ सौ मात्र)

2. उक्त भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्राप्त सभी आवेदनकर्ता छात्र सुसंगत नियमावली के समस्त शर्तो की पूर्ति करते हैं।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-130/2015/आर-3940/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सहारनपुर।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्डफाइल/इन्टरनेप्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।